


भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल  
30वीं वाहिनी

(नोटिस)

दल संख्या 130300635 कांस्टेबल (जी.डी.) देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह, ग्राम— कोटला टपरिया, डाकघर—कोटला नेहांग, तहसील—रोपड़, पुलिस स्टेशन— सिंह भगवन्तपुरा, जिला—रोपड़, राज्य—पंजाब, पिन—140001 को सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 14.10.2023 (अप्रा) से 30.10.2023 (अप्रा) तक स्वीकृत 15 दिन अर्जित अवकाश की समाप्ति के उपरांत आप दिनांक 30.10.2023 (अप्रा) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपस्थित है। आपको आपके सेवा पंजिका में अंकित गृह नगर पते के अनुसार 30वीं वाहिनी के कार्यालय के ज्ञापन सं. 2895 दिनांक 26.11.2023 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 9521 दिनांक 09.12.2023 के तहत निर्देशित किया गया था कि आप यथाशीघ्र अपनी आमद 30वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल, सरायखास, जालंधर, पंजाब में दें, परंतु आपके द्वारा 30वीं वाहिनी में आमद नहीं दी गई तथा स्वयं की इच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं। भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74 (1) के अंतर्गत 30वीं वाहिनी के कार्यालय आदेश संख्या 15 दिनांक 03.01.2024 के तहत न्यायिक जाँच समिति का गठन किया गया। न्यायिक जाँच समिति की राय एवं संस्तुति के आधार पर पाया गया कि आप स्वयं की इच्छा से भा.ति.सी.पुलिस बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं। भा.ति.सी.पुलिस अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 30वीं वाहिनी के आदेश संख्या 714 दिनांक 06.02.2024 के तहत आपको दिनांक 30.10.2023 (अप्रा.) से भगौड़ा घोषित किया गया है, जिसकी प्रति आपको पंजीकृत डाक से भेजी गई है। परंतु आपके द्वारा अभी तक भी अपनी आमद 30वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल कैम्प परिसर में नहीं दी है। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि आप स्वयं की इच्छा से अवकाश से अनुपस्थित चल रहे हैं, एवं भा.ति.सी.पुलिस बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आपको एक अवसर प्रदान किया जाता है कि आप इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के एक माह के अन्दर वाहिनी मुख्यालय 30वीं वाहिनी भा.ति.सी.पुलिस बल सरायखास, जालंधर (पंजाब) में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या लिखित में अपना पक्ष रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध एक तरफा निर्णय ले लिया जायेगा।

  
(बूटा सुमन)  
कमाण्डेंट 7/3/24

30वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल

CBC ~~19112/11~~ 0003/2425